२४३।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

टावर–2 पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226002

डीजी–परिपत्र संख्या 31/2020 दिनांकः सितम्बर 19, 2020

पुलिस आयुक्त लखनऊ/गौतमबुद्धनगर
समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद (नाम से), उ0प्र0 ।

अपनी शिकायतों/समस्याओं के निराकरण हेतु थाने पर आने वाले भारतीय सेना के अधिकारियों, जवानों, पूर्व सैनिकों व उनके परिवारीजनों के साथ शिष्ट एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में इस मुख्यालय द्वारा अनेकों बार निर्देश निर्गत किये जाने के बावजूद अब भी यदा–कदा सैन्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं । प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आवासित सैन्य कर्मियों, पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों के साथ किसी प्रकार का विवाद होने अथवा उनके विरूद्ध अभियोग आदि पंजीकृत होने की दशा में थानों पर नियुक्त कतिपय थाना प्रभारियों/अधीनस्थ पुलिस कर्मियों द्वारा कई बार उनके साथ अनावश्यक रूप से अभद्र, अमर्यादित व्यवहार करने व शारीरिक उत्पीड़न कर उन्हें अपमानित करने के दृष्टांत भी सामने आये हैं । यह स्थिति निःसन्देह ही आपत्तिजनक एवं निन्दनीय है।

2– भारतीय सेना का प्रत्येक अधिकारी/जवान एवं पूर्व सैनिक हमारे लिये निश्चित ही महत्वपूर्ण है और उनकी एवं उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य की समुचित सुरक्षा एवं पुलिस विभाग से जुड़ी उनकी समस्याओं का मानवोचित व्यवहार करते हुये पारदर्शिता एवं प्राथमिकता के आधार पर निराकरण कराना पुलिस के मुख्य दायित्वों में से एक है । दुर्गम स्थानों एवं विषम परिस्थितियों में देश की सेवा में अहर्निष सन्नद्ध रहने वाले भारतीय सेना के जाबांज अधिकारियों/जवानों एवं राष्ट्र की सुरक्षा में अपना बहुमूल्य योगदान दे चुके पूर्व सैनिकों से जुड़ी समस्याओं के निराकरण की दिशा में सम्यक कार्यवाही हेतु निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैं :–

(1) सैन्य अधिकारियों, जवानों, पूर्व सैनिकों व उनके परिवार जनों के साथ पुलिस द्वारा भद्र, शालीन एवं मर्यादित व्यवहार किया जाये और उनके प्रति पूर्ण आदर व सहानुभूति का भाव रखते हुये उनकी समस्याओं के विधि सम्यक निराकरण हेतु त्वरित व प्रभारी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ।

(2) भारतीय सशस्त्र सेना के अधिकारियों/जवानों के विरूद्ध अभियोग आदि पंजीकृत होने की दशा में सर्वप्रथम निकटतम सैन्य इकाई को सूचना देकर सम्बन्धित के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाये ।

Scanned by CamScanner

(3) थाना स्तर पर सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनके परिवारीजनों के साथ अनावश्यक उत्पीड़न, अभद्रता, मारपीट आदि की घटनाओं को पूर्ण रूपेण निषिद्ध किया जाये ।

(4) थानों पर किसी प्रकार की शिकायत/समस्या लेकर आने वाले भारतीय सेना के अधिकारियों, जवानों, पूर्व सैनिकों अथवा उनके पारिवारिक सदस्यों के साथ पुलिस द्वारा उत्पीड़नात्मक कार्यवाही की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल इस सम्बन्ध में जांच कराकर सत्यता के आधार पर दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध समुचित दण्डात्मक कार्यवाही की जाये जिससे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले भारतीय सैनिकों व देश के लिये सर्वस्व न्यौछावर कर चुके पूर्व सैनिकों में पुलिस के प्रति सकारात्मक भाव जागृत हो ।

3– कृपया उक्त निर्देशों के साथ ही साथ पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के **परिपत्र संख्या–2/2018 दिनांक 8.02.2018** एवं पुलिस महानिदेशक, कानून–व्यवस्था, उ0प्र0 के पत्र **संख्याः डीजी–आठ–94(06)2019 दिनांकित 06.03.2019** में विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें ।

11/9/20

(एच0 सी0 अवस्थी)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित :–

1– समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
2– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

20/9/2020

Scanned by CamScanner